संख्या-05/2019/384/94-1-2019-218(1)/2017 टी0सी0-।।

प्रेषक,

लालू,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 22 अप्रैल, 2019**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3612/नौ-104(मुख्यालय)/2019 दिनांक 04.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 मुख्यालय मतदेय मद में रूपये 3570.38 लाख (रूपये पैतिस करोड़ सत्तर लाख अड़तिस हजार मात्र) एवं 04 जिला व्यय मतदेयमद में रू0 12533.98 लाख (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ तैतिस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रू0 16104.36 लाख (रूपये एक अरब इकसठ करोड़ चार लाख छत्तिस हजार मात्र) तथा राजस्व लेखाशीर्ष 2059 लोक निर्माण कार्य 29- अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रूपये 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) तथा 2030 स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 स्कैनिंग एण्ड इन्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) एवं 2030 स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन-06 उप निबन्धक कार्यालय में रेन्टल बेसिस पर 10 एम0बी0पी0एस0 की लीज लाइन, 13-टेलीफोन पर व्यय के अन्तर्गत रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालनसुनिश्चित किया जाय।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बीस-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अत: उक्त आदेश में निहित निर्देश/ प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहरभवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लालू)
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-05/2019/384/94-1-2019-218(1)/2017 टी0सी0-।।, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्वलेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	01- वेतन	2200.00	2200.00	
2	02 मजदूरी	5.00	5.00	
3	03- मंहगाई भत्ता	330.00	330.00	
4	04- यात्रा व्यय	25.00	25.00	
5	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15.00	15.00	
6	06- अन्य भत्ते	15.00	15.00	
7	07- मानदेय	0.25	0.25	
8	08- कार्यालय व्यय	140.00	140.00	
9	09- विद्युत देय	30.00	30.00	
10	10- जलकर/ जलप्रभार	8.00	8.00	
11	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00	40.00	
12	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.00	30.00	
13	13- टेलीफोन पर व्यय	60.00	60.00	
14	14-मोटर गाड़ियो का क्रय	0.00	0.00	
15	15 गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	220.00	220.00	
16	16- व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.00	25.00	
17	17- किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	3.00	3.00	
18	19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन पर व्यय	0.50	0.50	
19	23- गुप्त सेवा पर व्यय	0.50	0.50	
20	42- अन्य व्यय (मतदेय)	0.10	0.10	
21	42- अन्य व्यय (भारित)	0.01	0.01	
22	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्ययएवं अन्य प्रासंगिकव्यय	3.00	3.00	
23	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50	
24	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेर का क्रय	20.00	20.00	
25	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30.00	30.00	
26	49- चिकित्सा व्यय	25.00	25.00	
27	51- वर्दी व्यय	2.00	2.00	
28	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	112.53	112.53	
	55- मकान किराया भत्ता	85.00	85.00	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
	56- नगर प्रतिकर भत्ता	20.00	20.00	
	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	125.00	125.00	
	योग 03 मतदेय	3570.38	3570.38	
	भारित	0.01	0.01	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03-पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 जिला व्यय	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	01- वेतन	8200.00	8200.00	
2	02 मजदूरी	15.00	15.00	
3	03- मंहगाई भत्ता	1230.00	1230.00	
4	04- यात्रा व्यय	6.50	6.50	
5	05- स्थानान्तरण	5.50	5.50	
6	06- अन्य भत्ते	20.00	20.00	
7	07- मानदेय	0.50	0.50	
8	08- कार्यालय व्यय	500.00	500.00	
9	09- विद्युत देय	200.00	200.00	
10	10 जलकर/ जलप्रभार	6.00	6.00	
11	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00	40.00	
12	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400.00	400.00	
13	13- टेलीफोन पर व्यय	300.00	300.00	
14	16 व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8.00	8.00	
15	17 किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	175.00	175.00	
16	42 अन्य व्यय (मतदेय)	0.00	0.00	
17	42 अन्य व्यय (भारित)	0.01	0.01	
18	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिकव्यय	5.00	5.00	
19	45- अवकाश यात्रा व्यय	1.50	1.50	
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेर का क्रय	80.00	80.00	
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	175.00	175.00	
22	49- चिकित्सा व्यय	60.00	60.00	
23	51- वर्दी व्यय	4.00	4.00	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 जिला व्यय	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
24	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	601.98	601.98	
25	55- मकान किराया भत्ता	350.00	350.00	
26	56- नगर प्रतिकर भत्ता	150.00	150.00	
	कुलयोग (मतदेय)	12533.98	12533.98	
	(भारित)	0.01	0.01	
	कुल योग 03 मुख्यालय 04 जिला व्यय- 12533.98 लाख (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ तैतिस लाख अट्ठानवे हजार मात्र)			
	भारित 0.01			

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव 29-अनुरक्षण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक 2059 मदवार	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2059-लोक निर्माण कार्य, 01-कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव, 29-अनुरक्षण	600	600	
	कुल योग (रूपये छ: करोड़ मात्र)	**600**	**600**	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण 03 पजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 स्कैनिंग एण्ड इन्डैक्सिंग आफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट,16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक 2030/ मदवार	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05 -स्कैनिंग एण्ड इन्डैक्सिंग आफ ओल्डडाक्यूमेन्ट, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**2500.00**	**2500.00**	
	कुल योग (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)	**2500.00**	**2500.00**	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण 03 पजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 06 उप निबन्धक कार्यालयोंमें रेन्टल बेसिस पर 10 एम0बी0पी0एस0 की लीज लाइन, 13 टेलीफोन पर व्यय

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक 2030/ मदवार	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 06 उप निबन्धक कार्यालयों में रेन्टल बेसिस पर 10 एम0बी0पी0एस0 की लीज लाइन, 13 टेलीफोन पर व्यय	**500.00**	**500.00**	
	कुल योग (रूपये पॉच करोड़ मात्र)	**500.00**	**500.00**	

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।